श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा) : सर, ऑनरेबल एमपी ने जिस घटना का जिक्र किया है, वह काफी दु:खद घटना है। इस पर ओडिशा गवर्नमेंट अवेयर हो चुकी है और हमारे मुख्य मंत्री ऑलरेडी इंक्वायरी के लिए ऑडर कर चुके हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; take proper action; that is all what she said, and also to prevent such incidents. That is what she is asking. Now, Shri Sharad Yadav.

Possibility of hacking of EVMs

श्री शरद यादव (बिहार) : माननीय उपसभापति जी, मैं चुनाव आयोग का सम्मान करता हूं। मेरा मक़सद उस पर किसी तरह के आक्षेप का नहीं है, लेकिन लोक सभा के चुनाव से पहले हाईकोर्ट ने ईवीएम के मामले में एक बहुत बेहतरीन फैसला दिया था। ईवीएम को लेकर देश भर में बहुत तरह की गलतफहमियां हैं। बहुत सारी पार्टियों ने इलेक्शन कमिशन में जाकर इसकी बात भी की है, हालांकि मैं उसमें कभी नहीं रहा। लेकिन हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि ईवीएम में और अधिक मज़बूती लाने के लिए जब वोट डाला जाता है, तो पर्ची निकलनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने वहां वोट डाला या नहीं डाला। यह हाईकोर्ट का फैसला था। नॉर्थ-ईस्ट में कुछ थोड़ी बहुत जगहों पर इसका प्रयोग किया गया, लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी मशीनें ले ली गईं और कोलकाता में उनको डम्प कर दिया गया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, आज अगर आप बैंकों में चले जाइए, जनरल स्टोर्स में चले जाइए, एटीएम में चले जाइए अथवा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि हर जगह पर मशीन के इस्तेमाल के बाद पर्ची निकल आती है। ईवीएम के लिए भी पूरे देश में इसकी भारी मांग रही। इलेक्शन कमिशन इस देश के संविधान का इंजन है और अगर इसमें हर तरह की पारदर्शिता नहीं रखी जाएगी, तो लोगों में यह शंका बढ़ती ही जाएगी।

उपसभापति जी, इसमें कई तरह की शिकायतें आती हैं। आन्ध्र प्रदेश के जो मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने यहां डिमॉंस्ट्रेशन करके भी बताया है कि इसमें किस तरह गड़बड़ी की जा सकती है, इसके बावजूद भी इस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। मैं एक केस का जिक्र करना चाहता हूं, यहां मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक केस में इलेक्शन कमिशन वर्सेज़ यहां सदन में रहे हुए एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा केस लगाया गया और अदालत ने उस पर फैसला भी दिया है।

महोदय, यह बिल्कुल सच बात है कि हिन्दुस्तान के वोट की रक्षा संविधान की रक्षा है। बोर्ड इस देश के संविधान का इंजन है। इलेक्शन में किसी को किसी तरह की शंका नहीं रहे, इसके लिए केवल इतना सा काम ही तो है, आप ईवीएम तो लगा ही रहे हैं, उस ईवीएम में केवल एक पर्ची निकल आए। जो आदमी वोट दे रहा होता है, उसको शक होता है कि मेरा वोट गया है या नहीं गया। उस व्यक्ति को यह कन्फर्म हो जाए, इसके लिए, उसके वोट का कन्फर्मेशन ईवीएम मशीन से पेपर के माध्यम से बाहर निकल आए। मान लीजिए, किसी को यह लगता है कि उसमें गड़बड़ हुई, इससे उसमें आगे कुछ किए जाने की संभावना रहती है। यह ट्रांस्पेरेंसी दुनिया भर में है, यहां भी इस ट्रांस्पेरेंसी को लाना चाहिए।

[श्री शरद यादव]

इसके लिए कोर्ट का आदेश भी हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका पालन कुछ थोड़े-बहुत स्थानों पर ही हुआ है। इसका पूरा पालन करना चाहिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगने वाला है, आप ईवीएम में तो इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं। आज सभी जगह पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि एक दुकानदार और एक जनरल स्टोर वाला भी इसका इस्तेमाल कर रहा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over.

श्री शरद यादवः महोदय, अगर इलेक्शन कमिशन ईवीएम पर 125 करोड़ रुपये का खर्च करता है, तो इस काम पर वह खर्च क्यों नहीं कर सकता है? ...**(समय की घंटी)**... आपके माध्यम से सरकार से मेरी यही विनती है। धन्यवाद।

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, I associate myself with this subject.

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : महोदय, मैं इनके उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री हरिवंश (बिहार) : सर, मैं भी इनके उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार) : सर, मैं इनके उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

श्री गुलाम रसूल बलियावी (बिहार) : सर, मैं इनके उल्लेख से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shrimati Kanimozhi.

Need to set up National Commission for Welfare of Fishermen

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, the problems faced by the fishermen in this country and the dangers faced by them from our neighbours have been discussed in this House many times. The fishermen of Tamil Nadu are waiting for a permanent solution for the problems they face when they enter the seas. At this juncture, I think, there is a need for setting up of a National Commission for Fishermen's Welfare. According to a study by the Ministry of Agriculture, in 2012, more than 1.5 crore Indians are engaged in fisheries-related livelihood activities. The fisheries sector contributes to more than one per cent of our total GDP. However, living in remote areas, the fishermen communities are deprived of specific schemes and programmes of the Government. Hence, the Indian fishermen community, both marine and inland, happen to be neglected and forgotten community. According to the Central Marine Fishery Research Institute, 61 per cent of the fishermen families come under the BPL category. When we look at other development indicators, such as, education and health, they are definitely one of the most